

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-169 / 2013 / अलेसे-III / 2556

दिनांक :- 19.01.22

कार्यालय आदेश

श्री सरजीत, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नं. 12884) कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर (श्रीगंगानगर) को दिनांक 27.06.2019 से 26.09.2019 तक अपने कार्य के साथ-साथ कार्यालय उप कोषाधिकारी, सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 27.06.2019 से 26.09.2019 तक का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2% दोहरा कार्यभत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 19.01.22

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-169 / 2013 / अलेसे-III / 2556

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर (श्रीगंगानगर)।
2. उप कोषाधिकारी, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)।
3. श्री सरजीत, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नं. 12884) कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर (श्रीगंगानगर)।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
6. रक्षित / निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)